

राजस्थान सरकार  
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय  
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:- एस्टे/डीईएस/सां0नि0/अग्रिम अध्ययन/2019/976

दिनांक:- 29-03-2019

कार्यालय आदेश

विभाग के अधीन कार्यरत निम्नलिखित सांख्यिकी निरीक्षक को अग्रिम अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति नीचे अंकित शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है:-

क.सं.	नाम कर्मचारी (श्री/सुश्री/श्रीमती)	परीक्षा जिसमें कर्मचारी बैठना चाहता है।	पदस्थापित विभाग/कार्यालय
1.	शिप्रा	ए.एस.ओ-2018(आर.पी.एस.सी.), ए.एस.ओ-2018 (कृषि विभाग)	जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, चुरु
2.	रीना गुप्ता	स्कूल व्याख्याता-2018, ए.एस.ओ-2018	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, राजगढ़, अलवर
3.	महेन्द्र कुमार मीणा	यू.जी.सी. नेट-2019, ए.एस.ओ-2018	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, मुण्डावर, अलवर
4.	रामचन्द्र	यू.जी.सी. नेट-2019	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर
5.	ममता मीणा	ए.एस.ओ-2018(आर.पी.एस.सी.)	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा निदेशालय, जयपुर
6.	दीपक खींची	एम0ए0 प्रीवियस	महानिदेशालय कारागार, जयपुर
7.	संदीप कुमार शर्मा	स्कूल व्याख्याता-2018, ए.एस.ओ-2018	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, महवा, दौसा
8.	विजेन्द्र सिंह बैरवा	स्कूल व्याख्याता-2018, ए.एस.ओ-2018	सहायक निदेशक, आ0 एवं सां0 विभाग, दौसा
9.	जिनेश भट्ट	स्कूल व्याख्याता(वाणिज्य)-2018, ए.एस.ओ-2018	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सांगवाड़ा, डूंगरपुर
10.	मोहम्मद जुल्कर खान	ए.एस.ओ-2018(आर.पी.एस.सी.), ए.एस.ओ-2018 (कृषि विभाग)	कार्यालय जिला परिषद, चुरु
11.	मुकेश कुमार पटेल	एम0ए0 फाइनल	ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा

नोट:- अग्रिम अध्ययन हेतु शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित / स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
2. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
3. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
4. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
5. अध्ययन के कारण राजसेवक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा अनुमति समाप्त कर दी जावेगी।
6. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन अनुमति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
7. अध्ययन संस्थान में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी।
8. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा, केवल परीक्षा काल के वास्तविक दिनों का ही अवकाश स्वीकृत किया जावेगा।
9. प्रशासनिक कारणों से अध्ययन अनुमति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(कुलदीप भटनागर)  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक (आई.टी.सेल.) मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. संबंधित विभाग.....
3. संबंधित कार्मिक श्री.....
4. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)